न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

हरजीराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी चारणवास तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान

.... वादी

बनाम

1– नन्दाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी चारणवास
2– मंगलाराम पुत्र उगमाराम जाति जाट निवासी चारणवास
3– मेघाराम पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी चारणवास
4– पन्नाराम उर्फ मानाराम पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी चारणवास
5– हनुमान पुत्र उगमाराम जाति जाट निवासी चारणवास
6– हीराराम पुत्र भागूराम जाति जाट निवासी चारणवास
7– खेमाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चारणवास
8– गोरधनराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चारणवास
9– चेला पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी चारणवास
10– नारायणराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी चारणवास
11– रूघाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी चारणवास
12– भंवरी देवी पुत्री कालूराम जाति जाट निवासी चारणवास तहसील परबतसर
13– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार परबतसर भूमिधारी

..................प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री राघव शर्मा, अधिवक्ता वादी
:– श्री राकेश घारू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 12

मुकदमा नम्बर :– 2020/00266 निर्णय दिनांक :– 28/3/22

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम चारणवास की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 112 खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0600 हैक्टर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 182 रकबा 2.9100 हैक्टर , खसरा नम्बर 210 रकबा 0.1200 हैक्टर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 211 रकबा 5.4500 हैक्टर कुल रकबा 8.5400 हैक्टर तथा खाता संख्या 114 खसरा नम्बर 44 रकबा 2.0437 हैक्टर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.0200 हैक्टर गै.मु. सडक, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.0200 हैक्टर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 67 रकबा 5.1400 हैक्टर कुल रकबा 7.2237 हैक्टर एवम् खाता संख्या 113 रकबा 68 रकबा 0.8700 हैक्टर गै.मु. ढाणी स्थित हैं उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त काश्त की आयी हुई है तथा उक्त कृषि भूमि पर वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है तथा काश्त करते आ रहे है। तथा वादग्रस्त

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

कृषि भूमि में वादी का खाता संख्या 112 में 1/8 व 1/8 हिस्सा, खाता संख्या 114 में 1/8 , 1/8 हिस्सा एवम् खाता संख्या 113 में 1/16 व 1/8 हिस्सा आया हुआ है तथा अन्य प्रतिवादीगण का भी अलग अलग हक हिस्सा आया हुआ है लेकिन सम्पूर्ण कृषि भूमि संयुक्त चली आ रही है तथा अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग निरन्तर करते आ रहे है तथा अपने अपने हिस्से की पुख्ता बाड खन्दक डोल की हुई है जो पुरानी हैं तथा वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा घोषित किये जाने की इस्तदुआ चाही है।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिव रूप से सुनवाई की जाकर वादी का वाद दिनांक 17.08.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर से बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर मंगवाया गया। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांक 1831 दिनांक 16.11.2021 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया। जिसको उभय पक्षकारो के अधिवक्ता ने पढ़ सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया है तथा मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार खातेदारी घोषणा कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा कर अलग – अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है। जिससे वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम चारणवास की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 112 खसरा नम्बर 181 रकबा 0.0600 हैक्टयर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 182 रकबा 2.9100 हैक्टयर , खसरा नम्बर 210 रकबा 0.1200 हैक्टयर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 211 रकबा 5.4500 हैक्टयर कुल रकबा 8.5400 हैक्टयर तथा खाता संख्या 114 खसरा नम्बर 44 रकबा 2.0437 हैक्टयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.0200 हैक्टयर गै.मु. सडक, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.0200 हैक्टयर गै.मु. कुआ, खसरा नम्बर 67 रकबा 5.1400 हैक्टयर कुल रकबा 7.2237 हैक्टयर एवम् खाता संख्या 113 रकबा 68 रकबा 0.8700 हैक्टयर गै.मु. ढाणी की भूमि बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 31.08.2021 में वर्णित अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर सभी की अगल – अलग होल्डिंग कायम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प डुयूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 28/3/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

28/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर